भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4293
जिसका उत्तर शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024 को दिया जाना है

हरियाणा के लिए पृथक उच्च न्यायालय

4293. श्री वरुण चौधरी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का हरियाणा के लिए एक पृथक उच्च न्यायालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी स्थापना के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ख) : हरियाणा सरकार ने चंडीगढ में हरियाणा राज्य के लिए एक पृथक उच्च न्यायालय की स्थापना के लिए अनुरोध किया था । इस मुद्दे में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय और पंजाब सरकार से राय मांगी गई थी । पंजाब सरकार इस प्रस्ताव से सहमत नहीं थी । पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने अपनी पूर्ण न्यायालय बैठक में कोई राय न देने का संकल्प किया । वर्तमान में इसके लिए कोई पूर्ण प्रस्ताव नहीं है ।

****